Annual Account of Scott & Saxby Limited

1261. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI JIBON ROY:

Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether scott & Saxby Limited under the administrative control of Ministry of Steel had not been preparing any audited annual accounts after 1988-89;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the number of employees including officers and executives on the rolls of the company and the salary and wages paid to them during the last three years;

(d) the turnover of the Company during the above period; and

(e) the number of workers who have not yet been paid their monthly wages from May, 1992 to October, 1992 before the suspension of work order in November, 1992?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV) (a) and (b) Audited Annual accounts upto 1994-95 of Scott & Saxby Ltd. have been prepared and adopted by the shareholders.

(c) Number of employees including officers and executives on the roll of the company of the last 3 years and salaries and wages paid to them are given below:—

(Rs. in lakhs)

Year	Paid till 30.11.95	Balance payable as on 1.12.95	Total
1992-93	39.58	24.97*	64.55
1993-94	9.61	2.01**	11.62
1994-95	12.06	0.77**	12.83

*Payable to employees under 'Suspension of Work'. Out of this amount on an average 60% of the amount has already been paid to each of the employees in instalments as advances.

** Still payable to officers.

(d) The turnover of the company during the last three years is given below:—

1992-93	—	Rs. 62.22 lakhs
1993-94	—	Rs. 35.61 lakhs
1994-95	—	Rs. 57.01 lakhs

(e) 150 employees, covered under the suspension of work, were paid a month's salary during each of the months from May, 1992 to September, 1992. However, the arrear payments in respect of these employees arising out of a tribunal award are continuing.

कृषि विकास के लिए गुजरात को विश्व बैंक की सहायता

1262. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक द्वारा गुजरात सरकार को विशेषकर सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में सघन कृषि विकास हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सहायता से क्या-क्या मुख्य लाभ होंगे;

(ग) इस सहायता से सौराष्ट्र-क्षेत्र में कृषि के विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा;

(घ) क्या विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में कोई शर्तें रखी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) विश्व बैंक द्वारा गुजरात सरकार को गहन कृषि विकास के लिए, विशेषकर सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में, दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में ब्यौरा निम्नवत है:—

(लाख रुपये)

परियोजना का नाम	विश्व बैंक द्वारा कुल वित्तीय सहायता	सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता	प्रभावी बंद होने की तारीख	टिप्पणी
एकीकृत पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)	3977.32	2007.35	28.02.91 31.03.98	
राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-2	2788.60	825.00	13.12.85 31.03.93	परियोजना अवधि 31.3.93 को पूरी हुई।

(ख) इस सहायता के माध्यम से प्राप्त होने वाले संभावित मुख्य लाभ नीचे दिये गये हैं:—

(i) एकीकृत पनधारा परियोजना (मैदानी) से लाभ:—

अधिकतर लाभ, अन्य बातों के अलावा, कम लागत वाली तकनोलोजी को लागू करने से होगा जिसमें उन्नत भूमि संसाधन प्रबन्ध व्यवस्था को लागू करने के साथ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में नमी संरक्षण संबंधी पहलूओं पर जोर दिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभानुभोगी ग्रामीण निर्धन, सीमान्त, लघु तथा बड़े किसान और भूमिहीन मजदूर होंगे। ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को सार्वजनिक भूमि में अतिरिक्त रोजगार से तथा उससे सृजित अतिरिक्त आय से लाभ होगा।

अप्रत्यक्ष लाभ, पर्यावरण में वृद्धि तथा उपचार की जाने वाली पनधाराओं में तथा पनधाराओं के सीधी दिशा में बहाव वाले कुछ प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण के कम होने से होगा।

(ii) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-II से लाभ:—

इस परियोजना का मुख्य लाभ किसानों को, अनुसंधान केन्द्रों तथा उन्नतिशील किसानों के खेतों में प्राप्त किये गये परिणामों के आधार पर समुचित तथा अपनाई जाने योग्य तकनीकी सहायता देकर, प्रति हेक्टेयर अपनी कार्य उत्पादकता तथा निवल आय को बढ़ाने में सहायता करना था।

(ग) **(i) एकीकृत पनधारा परियोजना (मैदानी):—**

कृषि का विकास मुख्यतः मृदा संरक्षण, जल संग्रहण, वनीकरण, बागवानी, सिल्वी चारागाह फसल निदर्शन के लिए आदान किटों आदि के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-II:—

(1) कृषि विस्तार संगठन को सुदृढ़ बनाना और विस्तार कर्मचारियों का उपयोग केवल तकनोलोजी के अन्तरण के लिए करना।

(2) नियमित पाक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विश्वविद्यालय परिसरों में मासिक कार्यशालाओं का आयोजन करके फील्ड तथा उप-मण्डलीय स्तर के विस्तार कार्मिकों के तकनीकी कौशल को बढ़ाना। देश में अखिल भारतीय स्तर के प्रशिक्षण केन्द्रों में विशिष्ट विषयों पर प्रशिक्षण देकर मध्यम स्तर के अधिकारियों के तकनीकी कौशल को भी बढ़ाया जाता है।

(3) संचार कौशल में सुधार करना जिससे अनुसंधान केन्द्रों में इजाद की गई अद्यतन कृषि उत्पादन टैक्नोलाजी तथा उन्नतशील किसानों के खेतों में निदर्शनों के माध्यम से प्रैक्टिसों और विस्तार मशीनरी के कांटेक्ट के सम्पर्क संबंधी कौशल को कम से कम संभव समय में सूचित किया जा सके।

(घ) जी, हां।

(ङ) एकीकृत पनधारा परियोजना (मैदानी) तथा राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-II

परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी शर्तें निम्नवत हैं:—

(क) अलग-अलग संघटकों के लिए सहायता की पद्धति।

(ख) बजट प्रावधान।

(ग) लेखांकन एवं लेखापरीक्षण व्यवस्था।

(घ) मध्यावधि समीक्षा।

Amount spent for total literacy campaign

1263. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the total amount earmarked and spent for total literacy campaign for the year 1994-95 and so far in 1995-96;

(b) the names of the States and districts where the total literacy campaign has been completed successfully so far;